मॉड्यूल 4: किशोर न्याय बोर्ड

सत्र 2: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित प्रक्रिया

अवधि: 2:28 मिनट

अपराधों का वर्गीकरण और तद्नुरूप निर्दिष्ट न्यायालय (धारा 86, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

- जब किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत अपराध की सज़ा तीन वर्ष या इससे अधिक किन्तु सात वर्ष से अधिक न हो तो ऐसा अपराध संज्ञेय, गैर ज़मानती होगा और इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।
- परन्तु जब किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की सज़ा तीन वर्ष से कम समय के कारावास की हो या केवल जुर्माना हो तब ऐसा अपराध संज्ञेय नहीं होगा, ज़मानती होगा और इसकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकते हैं।

एसे व्यक्ति का स्थापन जो जाँच की प्रक्रिया के दौरान बाल्यावस्था पार कर लेता है (धारा 5, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

- जाँच की प्रक्रिया के दौरान जब बच्चा 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तब यद्यपि इस अधिनियम या लागू किसी कानून में जो भी प्रावधान हों, बोर्ड द्वारा जाँच की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है और आदेश इस तरह से पारित किए जा सकते हैं जैसे वह व्यक्ति अभी भी बच्चा है।

एसे व्यक्ति का स्थापन जिसने जब अपराध किया तब उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी (धारा 6, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

- कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उसे ऐसे अपराध के लिए हिरासत में लिया गया है जो उसने तब किया था जब उसकी उम्र जब 18 वर्ष से कम थी, तब ऐसे व्यक्ति के साथ से इस धारा के प्रावधानों के अनुसार जाँच की प्रक्रिया के दौरान एक बच्चे की तरह व्यवहार किया जाएगा।
- इस व्यक्ति को यदि बोर्ड द्वारा ज़मानत पर रिहा नहीं किया गया तो जाँच की प्रक्रिया के दौरान उसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और इस अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार उसकी व्यवस्था की जाएगी।